राजस्थान सरकार
सार्वजनिक निर्माण विभाग

क्रमांक प.45 / पी.एण्ड एम.– I I / परिपत्र / 07/380 दिनांक : 1.9.2007

परिपत्र संख्या : 5 / 2007–08

विभाग द्वारा विभिन्न मदों से प्रतिवर्ष सड़कों पर डामरीकरण का कार्य किया जा रहा है एवं साथ ही नई सड़कों का निर्माण भी हो रहा है, और हर वर्ष पेच रिपेयर का अभियान विभाग द्वारा चलाया जाता है, परन्तु प्रतिवर्ष पेच के कार्य में कमी नहीं आ रही है। इस वर्ष भी 5 सितम्बर, 2007 से पेच मरम्मत का अभियान शुरू करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

सड़कों पर पेच व गड्डे पडने का एक मुख्य कारण पानी की उचित निकासी नहीं होना है। विभाग द्वारा आबादी क्षेत्र में सी.सी. रोड़ व पत्थर के खरंजे का कार्य कराये जा रहे हैं, परन्तु इस प्रयास से सड़कों की सम्पूर्ण लम्बाई में क्षति को नहीं रोका जा सकता। अतः विभाग द्वारा सड़कों एवं पटरियों पर पानी के निकास के लिए समुचित व्यवस्था करना अत्यन्त आवश्यक है। सामान्यतया निरीक्षण के समय यह पाया गया है कि सड़कों की पटरियाँ ऊँची होती हैं एवं सड़कों के दोनों तरफ केरिज–वे के पास से झाड़ी / डोली बना दी जाती है जिससे पानी का बहाव रूक जाता है। अतः समस्त अधीक्षण अभियन्ता / अधिशाषी अभियन्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि सड़क के बर्म्स को निर्धारित कैम्बर में करने का अभियान दिनांक 15.9.07 से 30.10.07 तक किया जाये। प्रथम चरण में यह अभियान राजकीय राजमार्ग व मुख्य जिला सड़क पर किया जाना है। जिसमें निम्न कार्यवाही की जानी है :–

1) प्रत्येक सहायक अभियन्ता / कनिष्ठ अभियन्ता के पास संबंधित राजमार्ग व मुख्य जिला सड़क की चौडाई का पूर्ण रिकार्ड होना चाहिए यह रिकार्ड संबंधित भूमि अवाप्ति अधिकारी या तहसील से प्राप्त किया जा सकता है। जहाँ पर राजस्व रिकार्ड कम्पयूटराइज्ड कर लिया गया है।

2) राजकीय राजमार्ग व मुख्य जिला सड़क पर पानी का निकास डोली, झाडियाँ व बर्म्स उँचे होने के कारण नहीं हो रहा है, उनको तुरन्त हटाया जाए।

3) राजकीय राजमार्ग व मुख्य जिला सड़कों पर आई.आर.सी. के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार बाउण्ड्री स्टोन इस अभियान के दौरान लगाये जाएँ।

4) राजकीय राजमार्ग व मुख्य जिला सड़कों की फोरमेशन पर जहाँ कहीं अनाधिकृत बोर्ड लगे हैं उनको भी इस अभियान की अवधि में हटाया जाये।

5) पानी का निकास व झाडियाँ इत्यादि हटाने का कार्य विभागीय श्रमिकों/ सरकारी मशीनों व ठेके के माध्यम से उपलब्ध बजट में अत्यन्त किफायत से कराने की व्यवस्था की जाये।

6) अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाषी अभियन्ता यह सुनिश्चित करेंगें की उपरोक्त अवधि में सड़कों पर से पानी के निकास का कार्य दोनों श्रेणी की सड़कों पर आवश्यक रूप से पूरा हो जाये।

शासन सचिव, सा.नि.वि.
31/8/2007

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री, राज. सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सा.नि.वि. राज. सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य अभियन्ता एवं अति. सचिव, सा.नि.वि. राज. जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता (पथ–प्रथम)/द्वितीय/रा.उ.मार्ग, सा.नि.वि., राज. जयपुर।
5. अति. मुख्य अभियन्ता, सा.नि.वि., सम्भाग .... (समस्त)।
6. अधीक्षण अभियन्ता, सा.नि.वि., वृत्त – .... (समस्त)।
7. अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि., खण्ड – .... (समस्त)।

शासन सचिव, सा.नि.वि.
31/8/2007